

आदेश

प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार के पर्वो/त्यौहारों के उपलक्ष में होने वाले अवकाशों एवं अन्य राजकीय अवकाशों को श्रमिकों पर भी लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों को देय अवैतनिक अवकाश निम्नानुसार होंगे:-

1. सप्ताह में एक दिवस (प्रत्येक रविवार)।
2. 01 मई (मजदूर दिवस)।
3. तीन राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टूबर)।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/116876-7571

दिनांक: 18/11/2022

प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
9. सिस्टम एनालिस्ट, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी), IRGY, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

24
11/11/22
मुख्य अभियंता (IRGY)